ए.

एल. आर. एस. के माध्यम से राजाराम एस/ओ. श्रीरामुलु नायडू (पूर्व निर्णय)।

वी.

एल. आर. एस. के माध्यम से मरुथाचलम (गलत निर्णय)। (2013 की आपराधिक अपील सं. 1978)

बी.

18 जनवरी, 2023

[बी**.** आर**.** गवई और एम**.** एम**.** सुंदरेश**,** जे**.** जे**.]**

सी.

दोषसिद्धिधदोषसिद्धिनदोषसिद्धि दोषसिद्धिऋदोषसिद्धिणदोषसिद्धि
दोषसिद्धिददोषसिद्धिदोषसिद्धिनदोषसिद्धिादोषसिद्धि-
दोषसिद्धिअदोषसिद्धिपदोषसिद्धीदोषसिद्धिलदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्ध्दोषसिद्धिथदो
षसिद्धीदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धितदोषसिद्ध्दोषसिद्धिनदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिद्धिदोषसिद्धि प्रत्यर्थीदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिादोषसिद्धिथदोषसिद्धि दोषसिद्धिचदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिटदोषसिद्धि
दोषसिद्धिफदोषसिद्धिंदोषसिद्धिडदोषसिद्धि
दोषसिद्धि(दोषसिद्धि1 दोषसिद्धि9 दोषसिद्धि9 दोषसिद्धि2 दोषसिद्धि
दोषसिद्धिऔदोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धि1 दोषसिद्धि9 दोषसिद्धि9 दोषसिद्धि5 दोषसिद्धि)दोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिददोषसिद्धिसदोषसिद्ध्दोषसिद्धियदोषसिद्धितदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिलदोषसिद्धीदोषसिद्धि,दोषसिद्धि
दोषसिद्धिजदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिसदोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धि
दोषसिद्धिलदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिएदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्ध्दोषसिद्धिरदोषसिद्धितदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिभदोषसिद्ध्दोषसिद्धितदोष
सिर्द्धिदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धि दोषसिद्धिरदोषसिद्ध्दोषसिद्धिपदोषसिद्धि
दोषसिद्धिमदोषसिद्धिदोषसिद्धिंदोषसिद्धि दोषसिद्धिददोषसिद्धिोदोषसिद्धि
दोषसिद्धिहदोषसिद्धिसदोषसिद्ध्दोषसिद्धितदोषसिद्धिादोषसिद्धिकदोषसिद्ध्दोषसिद्धिषदो
षसिद्धिरदोषसिर्द्धिदोषसिद्धितदोषसिद्धि

दोषसिद्धिखदोषसिद्धिादोषसिद्धिलदोषसिद्धिीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिचदोषसिद्धिेदोषसिद्धिकदोषसिद्धि दोषसिद्धिजदोषसिद्धिमदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धिएदोषसिद्धि दोषसिद्धिगदोषसिद्धिएदोषसिद्धि-
दोषसिद्धिचदोषसिद्धिदोषसिद्धिटदोषसिद्धि दोषसिद्धिफदोषसिद्धिंदोषसिद्धिडदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धिरदोषसिद्धिदोषसिद्धिपदोषसिद्धिकदोषसिद्ध्दोषसिद्धिवदोषसिद्धितदो
षसिद्धिादोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिेदोषसिद्धि
दोषसिद्धिबदोषसिद्धिादोषसिद्धिददोषसिद्धि,दोषसिद्धि
दोषसिद्धिअदोषसिद्धिपदोषसिद्धिीदोषसिद्धिलदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्ध्दोषसिद्धिथदो
षसिद्धिीदोषसिद्धि दोषसिद्धिौदोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिउदोषसिद्धिसदोषसिद्धिकदोषसिद्धिीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धितदोषसिद्ध्दोषसिद्धिनदोषसिद्धिीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिद्धिेदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिददोषसिद्धिसदोषसिद्ध्दोषसिद्धियदोषसिद्धितदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धिशदोषसिद्धिदोषसिद्धि
दोषसिद्धिजदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धिीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिरदोषसिद्धिनदोषसिद्धिेदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिमदोषसिद्धिादोषसिद्धिंदोषसिद्धिगदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिीदोषसिद्धि-
दोषसिद्धिहदोषसिद्धिादोषसिद्धिलदोषसिद्धिादोषसिद्धिंदोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धि,दोषसि
द्धि प्रत्यर्थीदोषसिद्धि दोषसिद्धिनदोषसिद्धिेदोषसिद्धि
दोषसिद्धिअदोषसिद्धिपदोषसिद्धिीदोषसिद्धिलदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्ध्दोषसिद्धिथदो
षसिद्धिीदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिोदोषसिद्धि
दोषसिद्धिबदोषसिद्धिदोषसिद्धिनदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धिसदोषसिद्धिीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्ध्दोषसिद्धिचदोषसिद्धिनदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिेदोषसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिद्धिकदोषसिद्धिददोषसिद्धिीदोषसिद्धिकदोषसिद्धिरदोषसिद्धिणदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिेदोषसिद्धि दोषसिद्धिलदोषसिद्धिदोषसिद्धिएदोषसिद्धि
दोषसिद्धिउदोषसिद्धिनदोषसिद्धि
दोषसिद्धिचदोषसिद्धिेदोषसिद्धिकदोषसिद्धिोदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिोदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्ध्दोषसिद्धिरदोषसिद्धिसदोषसिद्ध्दोषसिद्धितदोषसिद्ध्धुदोषसिद्धितदो
षसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धि-
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिहदोषसिद्धिादोषसिद्धि दोषसिद्धिगदोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धि
दोषसिद्धिचदोषसिद्धिेदोषसिद्धिकदोषसिद्धिोदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिादोषसिद्धि

दोषसिद्धिअदोषसिद्धिपदोषसिद्धिमदोषसिद्धिादोषसिद्धिनदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिर्द्धिदोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिगदोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्ि्ध्दोषसिद्धियदोषसिद्धिोदोषसिद्धिंदोषसिद्धिकदोषसिर्द्धिदोषसिद्धि
दोषसिद्धिअदोषसिद्धिपदोषसिद्धीदोषसिद्धिलदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्ि्ध्दोषसिद्धिथदो
षसिद्धीदोषसिद्धि दोषसिद्धिनदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिखदोषसिद्धिादोषसिद्धितदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिबदोषसिद्धिंदोषसिद्धिददोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिददोषसिर्द्धिदोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धि दोषसिद्धिथदोषसिद्धिादोषसिद्धि-
प्रत्यर्थीदोषसिद्धि दोषसिद्धिनदोषसिद्धैदोषसिद्धि दोषसिद्धिएदोषसिद्धिनदोषसिद्धि.दोषसिद्धि
दोषसिद्धिआदोषसिद्धिईदोषसिद्धि.दोषसिद्धि
दोषसिद्धिअदोषसिद्धिधदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिनदोषसिर्द्धिदोषसिद्धियदोषसिद्धिमदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धीदोषसिद्धि दोषसिद्धिधदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धि1 दोषसिद्धि3 दोषसिद्धि8 दोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धितदोषसिद्धिहदोषसिद्धितदोषसिद्धि दोषसिद्धिददोषसिद्धिोदोषसिद्धि
दोषसिद्धिशदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिकदोषसिद्धिादोषसिद्धियदोषसिद्धितदोषसिद्धि
दोषसिद्धिमदोषसिद्धिादोषसिद्धिमदोषसिद्धिलदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिददोषसिद्धिादोषसिद्धियदोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिएदोषसिद्धि-
दोषसिद्धिददोषसिद्धिोदोषसिद्धिनदोषसिद्धिोदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिमदोषसिद्धिादोषसिद्धिमदोषसिद्धिलदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिचदोषसिद्धिलदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिअदोषसिद्धिददोषसिद्धिादोषसिद्धिलदोषसिद्धितदोषसिद्धि
दोषसिद्धिददोषसिद्ि्ध्दोषसिद्धिवदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिखदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिजदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिरदोषसिद्धि दोषसिद्धिददोषसिर्द्धिदोषसिद्धिएदोषसिद्धि
दोषसिद्धिगदोषसिद्धिएदोषसिद्धि-दोषसिद्धिइदोषसिद्धिसदोषसिद्धिकदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिबदोषसिद्धिादोषसिद्धिददोषसिद्धि,दोषसिद्धि प्रत्यर्थीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिद्धैदोषसिद्धि दोषसिद्धिवदोषसिद्धिचदोषसिद्धिनदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धितदोषसिद्ि्ध्दोषसिद्धिरदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिआदोषसिद्धिधदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धि दोषसिद्धिपदोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिधदोषसिद्धिनदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिवदोषसिद्धिसदोषसिद्ि्धूदोषसिद्धिलदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धैदोषसिद्धि दोषसिद्धिलदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिएदोषसिद्धि
दोषसिद्धिमदोषसिद्ि्धुदोषसिद्धिकदोषसिद्धिददोषसिद्धिमदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिददोषसिद्धिादोषसिद्धियदोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिर्द्धिदोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धि-

दोषसिद्धिददोषसिद्धिोदोषसिद्धिनदोषसिद्धिोदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिमदोषसिद्धि्धुदोषसिद्धिकदोषसिद्धिददोषसिद्धिमदोषसिद्धिैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिखदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिजदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिरदोषसिद्धि दोषसिद्धिददोषसिर्द्धिदोषसिद्धिएदोषसिद्धि
दोषसिद्धिगदोषसिद्धिएदोषसिद्धि-
दोषसिद्धिआदोषसिद्धिपदोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धिधदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिकदोषसिद्धि
दोषसिद्धिमदोषसिद्धिादोषसिद्धिमदोषसिद्धिलदोषसिद्धिोदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिमदोषसिद्धिैदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिफदोषसिद्धिैदोषसिद्धिसदोषसिद्धिलदोषसिद्धिोदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिखदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिलदोषसिद्धिादोषसिद्धिफदोषसिद्धि
दोषसिद्धिअदोषसिद्धिपदोषसिद्धिीदोषसिद्धिलदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिअदोषसिद्धिनदोषसिद्धि्धुदोषसिद्धिमदोषसिद्धितदोषसिर्द्धिदोषसिद्धि
दोषसिद्धिददोषसिद्धिीदोषसिद्धि दोषसिद्धिगदोषसिद्धिईदोषसिद्धि।दोषसिद्धिपहले आपराधिक अपीलों पर विचार करते हुए, निचली अदालत ने पाया कि वादी के आयकर विवरण में यह खुलासा नहीं किया गया है कि उसने आरोपी को राशि उधार दी थी और घोषित आय रुपये का ऋण देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। 3 लाख-अनुमान का खंडन करने के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता है-इस सिद्धांत को लागू करते हुए, निचली अदालत ने पाया था कि आरोपी ने बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य और उपस्थित परिस्थितियों के आधार पर अनुमान का खंडन किया था-तत्काल मामले में, अपीलार्थी द्वारा उठाया गया बचाव 'संभावना की प्रधानता' के मानक को संतुष्ट करता है-उच्च न्यायालय अपीलार्थी को बरी करने के आदेश को उलटने में उचित नहीं था-जहां तक दीवानी अपीलों का संबंध है, उच्च न्यायालय

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

809 ए.

810 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर, संभाव्यता की प्रधानता पर भरोसा करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादी के पास 3 लाख रुपये की राशि उधार देने की वित्तीय क्षमता थी-क्योंकि अपीलार्थी की पत्नी से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई थी, उच्च न्यायालय ने पाया कि

सबसे अच्छा उपलब्ध साक्ष्य प्रतिवादियों/अपीलार्थियों द्वारा रोक दिया गया था और प्रतिकूल निष्कर्ष के ऐसे सिद्धांत के रूप में लागू था-इसलिए, दीवानी अपीलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

बी.

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

सी.

पकड़ना:**1.** सबसे पहले आपराधिक अपीलों पर विचार करें, इन सभी साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद, निचली अदालत ने पाया कि वादी के आयकर विवरण में यह खुलासा नहीं किया गया है कि उसने आरोपी को राशि उधार दी थी और घोषित आय **3** लाख रुपये का ऋण देने के लिए पर्याप्त नहीं थी।इसलिए, वादी का यह मामला कि उसने आरोपी को अपनी कृषि आय से ऋण दिया था, निचली अदालत द्वारा अविश्वसनीय पाया गया।ट्रायल कोर्ट ने पाया कि यह अत्यधिक संदिग्ध था कि क्या वादी ने आरोपी को **3** लाख रुपये की राशि उधार दी थी।ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया कि शिकायत **25** अक्टूबर **1998** को आरोपी द्वारा कथित रूप से निष्पादित किए गए वचन पत्र को पेश करने में विफल रही थी। बचाव पक्ष और उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने पाया कि बचाव पक्ष एक संभावित बचाव था और इस प्रकार, अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार था।अनुमान का खंडन करने के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता है।इस सिद्धांत को लागू करते हुए, निचली अदालत ने पाया था कि आरोपी ने बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य और उपस्थित परिस्थितियों के आधार पर अनुमान का खंडन किया था।वर्तमान मामले में, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी द्वारा उठाया गया बचाव "संभावना की प्रधानता" के मानक को संतुष्ट करता है।उच्च न्यायालय अपीलार्थी को बरी करने के आदेश को उलटने में उचित नहीं था।**[**पैरा **20,25** और **27] [819-**ई**-**एच**; 820-**जी**-**एच**; 821-**सी**]** ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

811

L.RS.v के माध्यम से राजाराम एस/ओ श्रीरामुलु नायडू।एल. आर. एस. के माध्यम से मरुथाचलम।

2. वर्तमान मामले में आपराधिक कार्यवाही और दीवानी कार्यवाही के बीच एक अंतर करने वाला तथ्य यह है कि आपराधिक कार्यवाही में वादी वचन पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा था**,** जबकि दीवानी कार्यवाही में वादी ने वचन पत्र साबित किया था।उच्च न्यायालय ने पाया कि दीवानी अपीलों का निर्णय संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर किया जाना आवश्यक था।उच्च न्यायालय ने पाया कि वादी ने साबित किया था कि वह एक एल**.** आई**.** सी**.** एजेंट के रूप में काम कर रहा था**,** कि उसके पिता के पास व्यापक कृषि संपत्तियां थीं और वह कृषि आय प्राप्त कर रहा था।उच्च न्यायालय**,** अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य के आधार पर**,** संभावना की प्रधानता पर भरोसा करते हुए**,** इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी के पास **20** अक्टूबर **1998** को **3** लाख रुपये की राशि उधार देने की वित्तीय क्षमता थी।उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि अपीलार्थी की पत्नी से उक्त मामले में गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई थी ताकि बचाव याचिका को संभव बनाया जा सके।उच्च न्यायालय ने पाया कि सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य को प्रतिवादियों/अपीलार्थियों द्वारा रोक दिया गया था और इस प्रकार**,** प्रतिकूल निष्कर्ष का सिद्धांत भी लागू था।**[**पैरा **29] [821-**ई**-**जी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

3. उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि दीवानी मामलों में निर्णय संभावनाओं की प्रधानता पर आधारित होता है**,** जबकि आपराधिक मामलों में निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और अभियुक्त का अपराध पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और सबूत सभी उचित संदेह से परे होना चाहिए।**[**पैरा **30] [822-**ए**-**बी**]**

एफ.

4. परिणामस्वरूप**,** यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करता हैः

(i) 2013 की आपराधिक अपील संख्या **1978** और **2013** की **1990** को अनुमति दी गई है और क्रमशः **28** अक्टूबर **2008** के दोषसिद्धि के सामान्य निर्णय और **30** अक्टूबर **2008** के सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया है।ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित **10** जुलाई **2011** के फैसलों और आदेशों की पुष्टि की गई है।

जी.

एच.

ए.

((ii) 2013 की सिविल अपील संख्या **10500** और **2013** की **10501** खारिज की जाती हैं।तथापि**,** उच्च न्यायालय के फरमानों को संशोधित किया जाता है**,** जिससे उन्हें इस न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा दीवानी और आपराधिक कार्यवाही में पहले से जमा की गई राशि और उस पर उपार्जित ब्याज तक सीमित कर दिया जाता है।**[**पैरा **32] [822-**ई**-**जी**]**

बी.

रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य और अन्र।

(2019) 18 एस**.** सी**.** सी**. 106-**लागू नहीं होता है।

बसलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा **(2019) 5** एस**.** सी**.** सी**. 418:[2019] 6** एससीआर **555;** बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार **(2019)**

सी.

4 एससीसी 197:[2019] 2 एस. सी. आर. 24; कलामनी टेक्स और एन. आर. बनाम पी. बालासुब्रमण्यम (2021) 5 एस. सी. सी. 283-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 6 एससीआर **555**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

डी.

[2019] 2 एससीआर **24**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

(2019) 18 एस**.** सी**.** सी**. 106** अभिनिर्धारित अप्रयोज्य पैरा **10 (2021) 5** एस**.** सी**.** सी**. 283** पैरा **10** को संदर्भित

ई.

आपराधिक/नागरिक अपील न्यायनिर्णयः2013 की आपराधिक अपील No.1978।

2001 के सी. ए. Nos.1031 और 1032 में मद्रास में उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.10.2008 और 30.10.2008 के निर्णय और आदेश से।

एफ.

के साथ

2013 की आपराधिक अपील No.1990, सिविल अपील Nos.10500 और 2013 की 10501।

जी.

रामेश्वर प्रसाद गोयल, सुश्री नेहा शर्मा, अनिल अग्रवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

वी. प्रभाकर, प्रमित सक्सेना, आर. चंद्रचूड़, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

एच.

813

L.RS.v के माध्यम से राजाराम एस/ओ श्रीरामुलु नायडू।एल. आर. एस. के माध्यम से मरुथाचलम।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. आपराधिक अपील मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित 28 अक्टूबर 2008 और 30 अक्टूबर 2008 के सामान्य निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा को चुनौती देती है, जिसके तहत अपीलार्थी को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (इसके बाद "एन. आई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक मामले में रुपये की राशि के लिए दो चेक के संबंध में 7 लाख। 3. 50 लाख।

बी.

2. दीवानी अपील मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित 08 अगस्त 2011 और 3 फरवरी 2012 के फैसलों को चुनौती देती है, जिसमें वादी-प्रत्यर्थीगण द्वारा वचन पत्रों के आधार पर धन की वसूली के लिए दायर मूल मुकदमे का आदेश दिया गया था।

सी.

3. सुविधा के लिए, इस न्यायालय के समक्ष पक्षों को उनकी स्थिति के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

डी.

4. चूँकि दोनों आपराधिक अपील एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं, हम 2013 की आपराधिक अपील No.1978 में तथ्यों का उल्लेख करना उचित मानते हैं।जहां तक दीवानी अपीलों का संबंध है, जबकि वे विभिन्न निर्णयों से उत्पन्न होते हैं, सुविधा के लिए, हम 2013 की दीवानी अपील से उत्पन्न तथ्यों का उल्लेख करेंगे।

ई.

5. वर्तमान अपीलें निम्नलिखित तथ्यात्मक मैट्रिक्स से उत्पन्न होती हैं:5.1 1992 में, अपीलार्थी-राजाराम की पत्नी ने आपराधिक अपील सं. 1978/2013 और सिविल अपील No.10500 2013 में प्रत्यर्थी, मरुथाचलम के साथ 5 साल के चिट-फंड की सदस्यता ली। प्रत्यर्थी-मरुथाचलम के इस समझाने पर कि एक सफल बोलीदाता बनने के लिए, एक खाली चेक के माध्यम से एक प्रतिभूति प्रस्तुत की जानी चाहिए, अपीलार्थी ने एन. ओ. एस. वाले दो हस्ताक्षरित खाली चेक प्रस्तुत किए। उनकी पत्नी की ओर से 237954 और 237956, क्योंकि उनका बैंक खाता नहीं था।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चेक मैसर्स वृंदा इंजीनियरिंग के खाते में लिए गए थे, जो अपीलार्थी की एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था है, जिसे लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के साथ रखा गया था।

एफ.

जी.

5.2 यह आगे अपीलार्थी का मामला है कि 1995 में, उनकी पत्नी ने प्रतिवादी-मरुथाचलम के साथ एक और 5 साल के चिट-फंड की सदस्यता ली।

एच.

ए.

5.3.1997 में, जिस बैंक खाते पर उक्त चेक निकाले गए थे, उसे संचालन न होने के कारण बंद कर दिया गया था।

5.4 पहली चिट 1997 में परिपक्व हुई और चूंकि अपीलार्थी की पत्नी कभी भी एक सफल बोलीदाता नहीं थी, इसलिए अपीलार्थी और उसकी पत्नी ने बार-बार प्रत्यर्थी से चिट्स की राशि जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन प्रत्यर्थी ने ऐसा कभी नहीं किया।इसके विपरीत, प्रत्यर्थी ने राशि को जमा के रूप में रखने और ब्याज का भुगतान करने का वादा किया।इसी तरह, दूसरी बोली 1999 में परिपक्व हुई, जिसके बाद भी अपीलार्थी की पत्नी कभी भी

सफल बोलीदाता नहीं रही।इसके बाद, रुपये की सदस्यता राशि जारी करने के लिए बार-बार अनुरोध किया जाता है। दोनों चीट के लिए उनकी ओर से 6 लाख रुपये दिए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।अंत में, अपीलार्थी और उसकी पत्नी ने प्रत्यर्थी को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, जिसके बाद प्रत्यर्थी ने तुरंत अपीलार्थी को बिना किसी जानकारी या सूचना के नकदीकरण के लिए चेक प्रस्तुत किए।

बी.

सी.

डी.

5.5 चेक संख्या 237954 20 अक्टूबर 1999 को प्रतिवादी-नचिमुथु (जो मरुथाचलम का बहनोई होता है) के पक्ष में रु। 3,50,000, और 4 नवंबर 1999 को प्रत्यर्थी द्वारा अपने बैंकर इंडियन ओवरसीज बैंक के माध्यम से नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था।उक्त चेक 14 नवंबर 1999 को "खाता बंद" के समर्थन के साथ बिना भुगतान के लौटा दिया गया।

ई.

5.6 अन्य चेक संख्या 237956 25 अक्टूबर 1999 को प्रत्यर्थी-मरुथाचलम के पक्ष में रु। 3,50,000-, और प्रत्यर्थी द्वारा अपने बैंकर इंडियन ओवरसीज बैंक के माध्यम से 04 नवंबर 1999 को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था।उक्त चेक भी 14 नवंबर 1999 को "खाता बंद" के समर्थन के साथ भुगतान किए बिना वापस कर दिया गया।

एफ.

जी.

5.7 15 नवंबर 1999 की सांविधिक अधिसूचनाएं उपरोक्त असम्मानित चेकों के संबंध में भेजी गई थीं, जिनका आरोपी/अपीलार्थी द्वारा विधिवत जवाब दिया गया था, जिसमें किसी भी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के अस्तित्व से इनकार किया गया था और इसमें कहा गया था कि प्रत्यर्थी ए के साथ चिट राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

एच.

815

L.RS.v के माध्यम से राजाराम एस/ओ श्रीरामुलु नायडू।एल. आर. एस. के माध्यम से मरुथाचलम। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

बाद का ब्याज।चूंकि राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए प्रत्यर्थीगणओं ने चेक संख्या 237956 के संबंध में चेक संख्या 237954 और 2000 की सीसी संख्या 32 के संबंध में एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत मामले दर्ज किए।दोनों मामलों को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा 10 जुलाई 2001 को अलग-अलग निर्णयों के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

बी.

5.8 उपरोक्त मामलों को खारिज करने के बाद, दोनों प्रत्यर्थीगण ने वचन पत्रों के आधार पर धन की वसूली के लिए दीवानी/मूल मुकदमे दायर किए।

5.9 मूल मुकदमा सं. 112/2003 (पूर्ववर्ती OS सं. 602/2002) प्रत्यर्थी-नचिमुथु द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी ने रु। 20 अक्टूबर 1998 को उनसे 3 लाख रुपये और उसी दिन एक वचन पत्र निष्पादित किया था, जिसमें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ उसे चुकाने का वादा किया गया था।यह भी आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी ने 20 अक्टूबर 1999 को एक करोड़ रुपये का चेक जारी किया था। 3,50,000-अपने दायित्व के निर्वहन के लिए और जब उसे नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था, तो इसका अपमान किया गया था क्योंकि अपीलार्थी ने खाता बंद कर दिया था।आपराधिक मामला सं. 32/2000 एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत चलाया गया था जिसे खारिज कर दिया गया था जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में एक अपील लंबित थी।

सी.

डी.

ई.

5.10 2004 का एक अन्य मूल मुकदमा संख्या 266 (2002 का पूर्ववर्ती ओएस 746) प्रत्यर्थी-मरुथाचलम द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी ने रु। 25 अक्टूबर 1998 को उनसे 3 लाख रुपये लिए गए और 25 अक्टूबर 1998 को एक वचन पत्र निष्पादित किया, जिसमें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ इसे चुकाने का वादा किया गया था।यह भी आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी ने 20 अक्टूबर 1999 को एक करोड़ रुपये का चेक जारी किया। 3,50,000-अपने दायित्व के निर्वहन के लिए और जब उसे नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था, तो इसका अपमान किया गया था क्योंकि अपीलार्थी ने खाता बंद कर दिया था।आपराधिक मामला सं. 26/2000 एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत चलाया गया था जिसे खारिज कर दिया गया था जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में एक अपील लंबित थी।

एफ.

जी.

5.11 2003 का मूल वाद सं. 112 और 2004 का मूल वाद सं. 266 दिनांक 6 जनवरी के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

एच.

2004 और क्रमशः 29 जुलाई 2005।दोनों फैसलों के खिलाफ, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई थी।5.12 आपराधिक मामलों में निर्णयों के खिलाफ अपीलों को उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और दिनांक 28.10.2008 और 30 अक्टूबर 2008 की सजा के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

बी.

5.13 अपील में, 2004 का मूल वाद संख्या 266 और 2003 का मूल वाद संख्या 112 को उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः 08 अगस्त 2011 और 3 फरवरी 2012 के निर्णयों के माध्यम से घोषित किया गया था।

सी.

5.14 उच्च न्यायालय के सभी 3 फैसलों के खिलाफ अपील हमारे समक्ष हैं और इस सामान्य फैसले के माध्यम से उनका निपटारा किया जा रहा है।

6. हमने सभी अपीलों में अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री नेहा शर्मा और सभी अपीलों में दोनों प्रत्यर्थीगणओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी. प्रभाकर को सुना है।

डी.

7. सुश्री नेहा शर्मा प्रस्तुत करती हैं कि उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय के सुविचारित निर्णयों को गलती से उलट दिया है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्ष 1992 में चिट-फंड के लिए प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए खाली चेक का वर्ष 1999 में प्रत्यर्थीगणओं द्वारा दुरुपयोग किया गया था।उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 1999 में, जब चेक को भुनाने के लिए भेजा गया था, अपीलकर्ता अब मैसर्स वृंदा इंजीनियरिंग का मालिक नहीं था और जिस बैंक खाते पर उक्त चेक निकाले गए थे, वह 1992 के बाद से संचालित नहीं था, और 1997 में असहयोग के कारण पहले ही बंद हो चुका था।उसने आगे प्रस्तुत किया कि खाता बंद होने

से पहले ही, अपीलार्थी की पत्नी उद्यम की एकमात्र स्वामी बन गई थी, और इस प्रकार, अपीलार्थी मैसर्स वृंदा इंजीनियरिंग के स्वामी के रूप में उक्त चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता था।

ई.

एफ.

8. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इसमें प्रत्यर्थीगणओं के पास 20 अक्टूबर 1998 और 25 अक्टूबर 1998 को प्रत्येक को रुपये की राशि उधार देने की वित्तीय क्षमता नहीं थी, जब वचन पत्रों को निष्पादित किया गया था।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हालाँकि यह उत्तरदाताओं का मामला था कि उन्होंने अपनी कृषि आय में से राशि दी थी, क्योंकि उन्होंने 1992-1999 से अपने आयकर रिटर्न में इसकी घोषणा नहीं की थी, इस प्रकार, यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि वे पैसे उधार दे सकते थे।उसकी प्रस्तुतियों को पुष्ट करने के लिए, ए

जी.

एच.

817

L.RS.v के माध्यम से राजाराम एस/ओ श्रीरामुलु नायडू।एल. आर. एस. के माध्यम से मरुथाचलम। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

विद्वान अधिवक्ता इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है,

बसलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा **1,**

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री वी. प्रभाकर प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता-राजा राम इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहे कि उनकी पत्नी ने प्रत्यर्थी, मरुथाचलम द्वारा संचालित चिट-फंड की सदस्यता ली थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि अपीलार्थी-राजा राम द्वारा यह साबित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी कि चेक और वचन पत्र केवल इस तरह की चिट के लिए सुरक्षा के रूप में जारी किए गए थे।उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी द्वारा देय कथित राशि की वसूली के लिए भी कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

बी.

सी.

10. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी-राजा राम के लिए वर्ष 1992 में एक खाली चेक जारी करने का कोई अवसर नहीं आया था ताकि वर्ष 1995 में बहुत बाद में सदस्यता ली जा सके।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही आयकर विवरणी में कुछ राशियों का लेखा-जोखा न हो, यह केवल चूककर्ता और राजस्व प्राधिकरण से संबंधित मामला है।इस प्रकार, एक उधारकर्ता को केवल इस आधार पर इसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि ऐसी राशि आयकर रिटर्न में नहीं दिखाई देती है।विद्वान अधिवक्ता ने निर्णयों पर भरोसा किया

डी.

इस न्यायालय ने बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार **2,** रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य और ए**.** एन**.** आर**. 3,** कलमनी टेक्स और ए**.** एन**.** आर**.** के मामलों में

वी**.**पी**.** बालासुब्रमण्यम **4** अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए।**11.** हम पहले आपराधिक अपीलों पर विचार करेंगे।

ई.

12. इस न्यायालय ने बासलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा (उपरोक्त) के मामले में एन. आई. अधिनियम की धारा 118 (ए) और 139 पर सिद्धांतों का सारांश दिया है। यह उसी को पुनः पेश करने के लिए प्रासंगिक होगा।

एफ.

“25. हम धारा 118 (ए) और 139 पर उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए, अब हम इस न्यायालय द्वारा गिने गए सिद्धांतों को निम्नलिखित तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:25.1.एक बार चेक के निष्पादन को स्वीकार करने के बाद अधिनियम की धारा 139 एक धारणा को अनिवार्य करती है कि चेक किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए था।

जी.

1 (2019) 5 एससीसी 418 2 (2019) 4 एससीसी 197 3 (2019) 18 एससीसी 106

4 (2021) 5 एस. सी. सी. 283

एच.

25.2.धारा 139 के तहत अनुमान एक खंडन योग्य अनुमान है और संभावित बचाव करने की जिम्मेदारी आरोपी पर है।अनुमान का खंडन करने के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता है।

25.3.अनुमान का खंडन करने के लिए, अभियुक्त के लिए अपने नेतृत्व में साक्ष्य पर भरोसा करना खुला है या अभियुक्त संभावित बचाव करने के लिए वादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भी भरोसा कर सकता है।संभावनाओं की प्रधानता का अनुमान न केवल पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से लिया जा सकता है, बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ से भी लिया जा सकता है जिन पर वे भरोसा करते हैं।25.4.यह कि अभियुक्त के लिए अपने बचाव के समर्थन में गवाह बॉक्स में आना आवश्यक नहीं है, धारा 139 ने एक साक्ष्य बोझ लगाया, न कि एक प्रेरक बोझ।

बी.

सी.

25.5.अभियुक्त के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने बचाव का समर्थन करने के लिए गवाह के बक्से में आए।**”**

13. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार चेक के निष्पादन को स्वीकार कर लिए जाने के बाद, एन. आई. अधिनियम की धारा 139 इस धारणा को अनिवार्य करती है कि चेक किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए था।हालाँकि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 139 के तहत अनुमान एक खंडन योग्य अनुमान है और संभावित बचाव करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है।अनुमान का खंडन करने के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुमान का खंडन करने के लिए, अभियुक्त के लिए अपने नेतृत्व में साक्ष्य पर भरोसा करना खुला है या अभियुक्त संभावित बचाव करने के लिए वादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भी भरोसा कर सकता है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संभावनाओं की प्रधानता का अनुमान न केवल पक्षों द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री से लिया जा सकता है, बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ से भी लिया जा सकता है जिन पर वे भरोसा करते हैं।

डी.

ई.

एफ.

14. उक्त मामले में, अर्थात बासलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा (ऊपर),

विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्री पर विचार करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त ने वादी की वित्तीय क्षमता के संबंध में संभावित बचाव

किया था।इसलिए आरोपी को बरी कर दिया गया।इससे व्यथित होकर, वादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।उच्च न्यायालय ने इसे उलट दिया और आरोपी को दोषी ठहराया।इस न्यायालय ने पाया कि जब तक उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि वादी की वित्तीय क्षमता के संबंध में विद्वत विचारण न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था, तब तक उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी।

जी.

15. वर्तमान मामले में, अभियुक्त अपीलार्थी ने श्री सरसैय्यिन, आयकर अधिकारी, वार्ड No.18, सर्कल (II) (5) से पूछताछ की थी, जो ए

एच.

819

L.RS.v के माध्यम से राजाराम एस/ओ श्रीरामुलु नायडू।एल. आर. एस. के माध्यम से मरुथाचलम। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

वित्तीय वर्ष 1995-96,1996-97,1997-98 और 1998-99 के लिए वादी के आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गईं।आयकर विवरणी की प्रमाणित प्रतियों ने साबित किया कि वादी ने यह घोषणा नहीं की थी कि उसने आरोपी को 3 लाख रुपये उधार दिए थे। इसने आगे साबित किया कि कृषि आय भी आयकर विवरणी में घोषित नहीं की गई थी।

बी.

16. विद्वत विचारण न्यायालय ने आगे पाया कि आयकर विवरणी में दिखाई गई आय से, जो विधिवत प्रदर्शित की गई थी, यह स्पष्ट था कि शिकायतकर्ता (ओं) के पास आरोप के अनुसार धन उधार देने की वित्तीय क्षमता नहीं थी।

17. अपीलार्थी ने एकल स्वामित्व फर्म, मेसर्स वृंदा इंजीनियरिंग द्वारा किए गए बैंक लेनदेन के संबंध में सिटी यूनियन बैंक, रामनगर शाखा के सहायक प्रबंधक, D.W.2-Thiru अय्यप्पन से भी पूछताछ की थी।

सी.

18. बचाव पक्ष की ओर से लक्ष्मी विलास बैंक, गणपति शाखा के प्रबंधक सुब्रमण्यम से भी पूछताछ की गई।उक्त गवाह ने यह भी कहा कि वादी ने बैंक में खाता खोलने के लिए आरोपी का परिचय कराने के लिए आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

डी.

19. D.W.4-Mr। गणपति गाँव के ग्राम प्रशासनिक अधिकारी श्री गणेशन से भी पूछताछ की गई और उन्होंने पदच्युत किया कि एस. एफ. संख्या 591/3 और 592/3 में भूमि संयुक्त स्वामित्व में थी, और उपरोक्त सर्वेक्षण संख्या में 27 व्यक्तियों के नाम पाए गए।

ई.

20. इन सभी साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने पाया कि वादी के आयकर विवरण में यह खुलासा नहीं किया गया है कि उसने अभियुक्त को राशि उधार दी थी और घोषित आय 3 लाख रुपये का ऋण देने के लिए पर्याप्त नहीं थी।इसलिए, वादी का यह मामला कि उसने अभियुक्त को अपनी कृषि आय से ऋण दिया था, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अविश्वसनीय पाया गया।विद्वत विचारण न्यायालय ने पाया कि यह अत्यधिक संदिग्ध था कि क्या वादी ने अभियुक्त को 3 लाख रुपये की राशि उधार दी थी।विद्वत विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि शिकायत 25 अक्टूबर 1998 को अभियुक्त द्वारा कथित रूप से निष्पादित किए गए वचन पत्र को प्रस्तुत करने में विफल रही थी।बचाव पक्ष के गवाहों और उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद, विद्वत ट्रायल कोर्ट ने पाया कि बचाव पक्ष एक संभावित बचाव था और इस तरह, आरोपी संदेह के लाभ का हकदार था। अनुमान का खंडन करने के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता है।इस सिद्धांत को लागू करते हुए, विद्वत विचारण न्यायालय ने पाया था कि अभियुक्त ने बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य और उपस्थित परिस्थितियों के आधार पर अनुमान का खंडन किया था।

एफ.

जी.

एच.

21. बरी किए जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित है।जब तक उच्च न्यायालय यह नहीं पाता कि साक्ष्य का मूल्यांकन विकृत है, तब तक वह विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था।

22. जहां तक बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर श्री प्रभाकर द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है, उक्त मामले में, हालांकि अभियुक्त को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था, जिसकी दोषसिद्धि अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई थी, उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में इसमें हस्तक्षेप किया और अभियुक्त को बरी कर दिया।इस न्यायालय ने पाया कि दंड प्रक्रिया

संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, विकृति के अभाव में, तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को परेशान नहीं कर सकता है। किसी भी मामले में, उक्त मामले में, अभियुक्त ने वादी की वित्तीय क्षमता के संबंध में साक्ष्य नहीं दिया था।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार चेक पर हस्ताक्षर किए जाने और अभियुक्त द्वारा उसे सौंप दिए जाने के बाद, यह एन. आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत यह अनुमान लगाया जाएगा कि यह दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि ऋण के निर्वहन में चेक जारी नहीं किया गया था।

बी.

सी.

डी.

23. कलामनी टेक्स और एक अन्य वी. पी. के मामले में।

बालासुब्रमण्यम (ऊपर), विद्वत विचारण न्यायालय ने शिकायत को खारिज कर दिया था। अपील में, वादी के कहने पर, इसकी अनुमति दी गई और अभियुक्तों को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। मूल अभियुक्त के कहने पर एक अपील में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए इस प्रकार टिप्पणी कीः

ई.

“18. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों के बीच एक स्वीकृत व्यावसायिक संबंध रहा है, हमारी राय है कि अपीलार्थीगण द्वारा उठाया गया बचाव विश्वास को प्रेरित नहीं करता है या "संभावना की प्रधानता" के मानक को पूरा नहीं करता है।किसी अन्य प्रासंगिक सामग्री के अभाव में, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के बचाव को खारिज करने और एन. आई. ए. की धारा 118 और धारा 139 के संदर्भ में उन पर लगाए गए दायित्व को बरकरार रखने में कोई गलती नहीं की।

एफ.

24. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों द्वारा उठाया गया बचाव विश्वास को प्रेरित नहीं करता है या "संभावना की प्रधानता" के मानक को पूरा नहीं करता है।25. वर्तमान मामले में, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी द्वारा उठाया गया बचाव "संभावना की प्रधानता" के मानक को संतुष्ट करता है।

जी.

एच.

L.RS.v के माध्यम से राजाराम एस/ओ श्रीरामुलु नायडू।एल. आर. एस. के माध्यम से मरुथाचलम। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

26. जहाँ तक इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता का संबंध है

रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य और ए. एन. आर. का मामला (ऊपर)

संबंधित है, उक्त मामले में, विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया था, उच्च न्यायालय ने अपील में, बरी करने के फैसले को उलट दिया और अभियुक्त को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि केवल इनकार करके या केवल संदेह पैदा करके, अभियुक्त को एन. आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत परिकल्पित धारणा का खंडन करने वाला नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब तक अभियुक्त की ओर से उसके मामले के बचाव में ठोस साक्ष्य नहीं दिया जाता है, तब तक एन. आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान का खंडन नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार, उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी लागू नहीं होगा।

बी.

सी.

27. मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा आगे यह विचार है कि उच्च न्यायालय अपीलार्थी को बरी करने के आदेश को उलटने में उचित नहीं था।

28. यह हमें सिविल अपीलों पर विचार करने के लिए छोड़ देता है।जहाँ तक सिविल अपीलों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने दो अलग-अलग निर्णयों और आदेशों द्वारा विद्वत विचारण न्यायालय के निर्णयों और आदेशों को पलट दिया है, जिसमें मुकदमों को खारिज कर दिया गया है, जिससे उन्हें आदेश दिया गया है।यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि आपराधिक कार्यवाही में सबूत का मानक दीवानी कार्यवाही में अलग होता है।

डी.

29. वर्तमान मामले में आपराधिक कार्यवाही और दीवानी कार्यवाही के बीच एक अंतर करने वाला तथ्य यह है कि आपराधिक कार्यवाही में वादी वचन पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा था, जबकि दीवानी कार्यवाही में वादी ने वचन पत्र साबित किया था।उच्च न्यायालय ने पाया कि दीवानी अपीलों का निर्णय संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर किया जाना आवश्यक था।उच्च न्यायालय ने पाया कि वादी ने साबित किया था कि वह एल. आई. सी. एजेंट के रूप में काम कर रहा था, कि उसके पिता के पास व्यापक कृषि संपत्तियां थीं और वह कृषि आय प्राप्त कर रहा था।उच्च न्यायालय, अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य के आधार पर, संभावना की

प्रधानता पर भरोसा करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी के पास 20 अक्टूबर 1998 को 3 लाख रुपये की राशि उधार देने की वित्तीय क्षमता थी।उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि अपीलार्थी की पत्नी से उक्त मामले में गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई थी ताकि बचाव याचिका को संभव बनाया जा सके।उच्च न्यायालय ने पाया कि सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य को प्रतिवादियों/अपीलार्थियों द्वारा रोक दिया गया था और इस प्रकार, प्रतिकूल निष्कर्ष का सिद्धांत भी लागू था।

ई.

एफ.

जी.

30. हालांकि उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क देने की मांग की गई थी कि आपराधिक कार्यवाही में फैसले को देखते हुए, मुकदमा भी खारिज होने योग्य था, उच्च न्यायालय ने सही कहा कि निर्णय

एच.

दीवानी मामलों में संभावनाओं की प्रधानता पर आधारित होता है जबकि आपराधिक मामलों में निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और अभियुक्त का अपराध पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और सबूत सभी उचित संदेह से परे होना चाहिए।

31. इसलिए, हम दीवानी अपीलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम डिक्री को संशोधित करने के लिए इच्छुक हैं।इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थीगण ने 7 लाख रुपये और 5 लाख रुपये की राशि जमा की है। 20 फरवरी, 2009 के इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1978 (2009 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) No.1456 और संबंधित मामले से उत्पन्न और 13 अगस्त, 2012 को 2013 की सिविल अपील No.10501 (2012 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.23036 से उत्पन्न) में पारित किया गया।उक्त राशि को समय-समय पर निश्चित जमा प्राप्तियों में निवेश करने का निर्देश दिया गया है।इसलिए, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, डिक्री को दोनों

कार्यवाहियों में अपीलार्थीगण द्वारा पहले से जमा की गई राशि और उस पर उपार्जित ब्याज तक सीमित करने की आवश्यकता है।

बी.

सी.

डी.

32. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैं:

(i) 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1978 और 2013 की 1990 को अनुमति दी गई है और क्रमशः 28 अक्टूबर 2008 के दोषसिद्धि के सामान्य निर्णय और 30 अक्टूबर 2008 के सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया है।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित 10 जुलाई 2011 के निर्णयों और आदेशों की पुष्टि की गई है।

ई.

((ii) 2013 की सिविल अपील संख्या 10500 और 2013 की 10501 खारिज की जाती हैं।तथापि, उच्च न्यायालय के फरमानों को संशोधित किया जाता है, जिससे उन्हें इस न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा दीवानी और आपराधिक कार्यवाही में पहले से जमा की गई राशि और उस पर उपार्जित ब्याज तक सीमित कर दिया जाता है।(iii) दोनों दीवानी अपीलों में प्रत्यर्थीगण इस न्यायालय में जमा की गई राशि का 50 प्रतिशत अब तक अर्जित ब्याज के साथ निकालने के हकदार होंगे।33. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

एफ.

जी.

अंकित ज्ञान

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

एच.